


20/04/25

फतेहपुर सीकर, राजस्थान
पत्रावली पेश हुई। जाप्रीया एवं जाप्रीया
के अधिकारों को बार-बार आबाज किया
गया। उसे ठाकुर नहीं है। अतः अहम
ठाकुरी एवं अहम पैरवी में जाप्रीया-
पत्र खाति किया जाता है। पत्रावली
नम्बर ले कम हो। बार जाप्रीया का
• मूल वाद के सम्बन्ध हो।


(हमयती केश)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

